प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0 / मातृ स्वा0 / जे0एस0एस0के0 / 93–5 / 2016–17 5704 दिनांक 21 09.2016

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" वित्तीय वर्ष 2016–17 के 01 अक्टूबर 2016 के उपरान्त संचालन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

प्रदेश की प्रत्येक गर्भवती महिला को सभी स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क प्रदान किये जाने हेतु आपके जनपद में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 में भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के आच्छादन में विस्तार किया गया है। भारत सरकार ने प्रसव पूर्व सेवाओं के नवीन संशोधित मानक लागू किये हैं जिसके अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि की दरें भी संशोधित की गयी हैं।

प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घंटे माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर जटिलतायें व मृत्यु इस अवधि में ही होती हैं। हमारी पूरी रणनीति प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को इस अति संवेदनशील अवधि में चिकित्सालय में चिकित्सकों की निगरानी में रखने की होनी चाहिए। इसके लिये सभी प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाय। सभी निःशुल्क सेवाओं के साथ चिकित्सालय का वातावरण भी सहयोगात्मक होना आवश्यक है।

इस कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा प्राप्त वर्ष 2016–17 की आर0ओ0पी0 में स्वीकृत नवीन दरें 01 अक्टूबर 2016 के उपरान्त लागू होंगी। वर्तमान में वित्त नियंत्रक द्वारा उपलब्ध करायी गयी 31 अगस्त 2016 की सूचना के आधार पर जनपदों के पास कुल रू0–9816.03 लाख की धनराशि उपलब्ध है (प्रति संलग्न)। उपलब्ध धनराशि के 80 प्रतिशत से अधिक धनराशि के व्यय उपरान्त अग्रिम किश्त प्रेषित की जायेगी। तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश प्रेषित हैं।

1. **निःशुल्क परिवहन सुविधाः–**

1.1. प्रत्येक जनपद को राजकीय चिकित्सा इकाईयों पर प्रदेश में संचालित "102" गाड़ियों से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी है। यह 102 एम्बुलेन्स सेवा गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं 01 वर्ष तक के शिशुओं घर से चिकित्सा इकाई तक आने, चिकित्सा इकाई से घर तक जाने एवं चिकित्सा इकाई से उच्च इकाई के लिये सर्न्दभन, सभी परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

1.2. बहुधा यह देखा गया है कि प्रसूता के रिश्तेदार स्वयं ही 102 एम्बुलेन्स वाहनों को प्रसूति के पश्चात बुलाकर जल्दी घर चले जाते हैं ऐसी स्थिति में चिकित्सालय पर 48 घण्टे तक माँ व बच्चे का विशेष ध्यान रखना सम्भव नहीं हो पाता है। अतः यह ध्यान रखा जाये कि चिकित्सा इकाइयों से 102 ड्रॉप–बैक सुविधा चिकित्सा प्रभारियों के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाये।

2. **निःशुल्क भोजन व्यवस्थाः–**

2.1. वर्ष 2016–17 में भी प्रत्येक जनपद को सभी जनपद व ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों तक निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करानी है। कृपया इस सम्बन्ध में सभी जिला महिला चिकित्सालयों को भी विस्तृत निर्देश जारी कर इनके मैटरनिटी वार्डों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के मद से निःशुल्क भोजन की सुविधा तत्काल उपलब्ध करा दी जाये।

2.2. निःशुल्क भोजन प्रदान करने के मद में धनराशि का आंगणन जिला कार्ययोजना के माध्यम से जनपदों द्वारा लक्ष्य निर्धारण गत वर्ष जनपद की एल–2 व एल–3 प्रसव इकाइयों पर हुए संस्थागत प्रसवों के अनुपात में किया गया है। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100.00 प्रति दिन की अधिकतम दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा।

2.3. जिन जनपदों पर टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन सम्भव नहीं हो पाया है अथवा वेण्डर छोड़कर चले गये हैं, वे जिला स्वास्थ्य समिति से स्वीकृति प्राप्त कर मुख्य विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर अच्छे व क्रियाशील महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया अनुमोदन जिला स्वास्थ्य समिति से प्राप्त करना अनिवार्य है।

2.4. गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु भर्ती दिवसों की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से ही सामान्य प्रसव में औसतन 02 दिवस व सीजेरियन प्रसव में औसतन 05 दिवस की अवधि की दर से धनराशि का आंगणन किया गया है अन्यथा सम्पूर्ण भर्ती अवधि में निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान की जाये।

2.5. अन्तिम विकल्प के रूप में यदि किसी इकाई पर ताजे भोजन की व्यवस्था न की जा सके, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गर्भवती महिला/प्रसूता को आधे लीटर दूध की दो थैली (लगभग रु0 40.00), दो फल अथवा दो अण्डे (लगभग रु0 20.00), दोनों समय अच्छे ब्राण्ड की डबलरोटी तथा 20 ग्राम पैकेज्ड मक्खन उपलब्ध कराया जा सकता है।

2.6. जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन की सुविधा प्रदान कर रही प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई को निम्नलिखित प्रारूप पर **जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर** व्यवस्थित करना अनिवार्य है। यह डायट रजिस्टर भर्ती प्रसूताओं की वास्तवित संख्या व उनके द्वारा प्राप्त किये गये भोजन के आधार पर ही प्रभारी नर्स द्वारा भरा जायेगा। रजिस्टर के रख रखाव का उत्तरदायित्व प्रभारी वार्ड नर्स का ही होगा और इकाई के प्रभारी इसको प्रतिदिन अवलोकित करेंगे। राज्य, मण्डल अथवा जिला स्तरीय अधिकारी जब भी अनुश्रवण हेतु चिकित्सा इकाइयों पर भ्रमण करें तो इस रजिस्टर का अवलोकन अवश्य करें।

जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर									
					दी गयी डाइट की संख्या				
क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	भर्ती की तिथि एवं समय	प्रसव की तिथि एवं समय	चिकित्सालय से छुटटी किये जाने की तिथि एवं समय	नाश्ता@ रू0..... (डबल रोटी/दूध/अण्डा/मक्खन)	दोपहर का भोजन @ रू0.....	रात्रि का भोजन @ रू0.....	चिकित्सालय में भर्ती के दौरान डाइट पर हुआ कुल व्यय रू0...	वार्ड प्रभारी के हस्ताक्षर

3. **निःशुल्क उपचार (औषधि एंव कंज्यूमेबिल्स की व्यवस्था):–**

यह कार्यक्रम सभी गर्भवती महिलाओं को आच्छादित करने के लिये है न कि मात्र प्रसूताओं को।

3.1. इस मद से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात सभी आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी हैं। निःशुल्क औषधि व उपचार प्रदान करने का लक्ष्य जनपद में कुल सम्भावित गर्भवती महिलाओं के 80 प्रतिशत आच्छादन के आधार पर निर्धारित किया गया है जो कि जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य से कहीं अधिक है। इस सुविधा से उन गर्भवती महिलाओं को भी लाभ दिया जाना है जो अन्ततः किसी

कारणवश हमारी राजकीय इकाईयों में प्रसव नहीं करा सकेंगी किन्तु प्रसव पूर्व सेवायें प्राप्त करेंगी। प्रत्येक जनपद का लक्ष्य संलग्न तालिका (संलग्नक–1) पर प्रदर्शित है।

3.2. वर्तमान में प्रसव पूर्व सेवाओं के नवीन संशोधित मानकों एवं दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश की कुल 50.00 लाख गर्भवती महिलाओं को इस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- ✓ सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। इसी प्रकार प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 01 गोली आयरन की दी जानी हैं। गर्भवती को एनीमिया होने की स्थिति में प्रतिदिन 02 आयरन की गोली दी जायेंगी। इस प्रकार सामान्य स्थिति में एक गर्भवती को **360 आयरन फोलिक एसिड** की गोली दी जानी होंगी जिसमें से पंजीकरण के समय 180 गोली दी जायेंगी। प्रसव पश्चात चिकित्सालय से छुट्टी के समय 30 गोली दी जायेंगी और शेष 150 गोली प्रसव पश्चात देखभाल के अन्तर्गत वी0एच0एन0डी0 के दौरान ए0एन0एम0 द्वारा दी जायेंगी। एनीमिक गर्भवती को 450 गोली दिया जाना होगा। इस आंगणन के अनुसार सभी जनपद आयरन फोलिक एसिड गोलियों के क्रयादेश जारी करें।
- ✓ सभी गर्भवती महिलाओं को द्वितीय व तृत्रीय त्रैमास (छःमाह) में 02 गोली कैल्सियम की, इसी प्रकार प्रसव पश्चात भी छः माह तक प्रतिदिन 02 गोली कैल्सियम (1–1 गोली सुबह शाम) खाने के तुरन्त बाद की दी जानी हैं। इस प्रकार प्रत्येक गर्भवती को **720 गोली कैल्शियम** की दी जानी होंगी। इस आंगणन के अनुसार सभी जनपद कैल्शियम गोलियों के क्रयादेश जारी करें।
- ✓ ए0एन0एम0 प्रत्येक गर्भवती को द्वितीय त्रैमास में **एलबेन्डाजॉल** की 01 गोली वी0एच0एन0डी0 सत्र में अपने सामने खिलाना सुनिश्चित करेगी।
- ✓ उपर्युक्त के अतिरिक्त गर्भकाल में होने वाली सामान्य बीमारियों का उपचार, गम्भीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज द्वारा चिकित्सा, उच्च रक्तचाप आदि का उपचार भी इसी मद से उपलब्ध कराया जायेगा।

3.3. इन सभी आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रसव पूर्व देखभाल हेतु **दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से रू0–250.00 प्रति गर्भवती की दर से धनराशि अवमुक्त की जायेगी।**

3.4. इसी प्रकार राजकीय प्रसव इकाइयों पर निःशुल्क सामान्य प्रसव सेवा उपलब्ध कराने हेतु औसतन रू0–400.00 प्रति प्रसव की दर से एवं ऑपरेशन द्वारा प्रसव पर औसतन रू0–1800.00 प्रति सीजेरियन प्रसव की दर से धनराशि का आंगणन किया जायेगा। प्रसूताओं हेतु सैनेटरी/मैटरनिटी नैपकिन्स की उपलब्धता भी इसी धनराशि से सुनिश्चित करें। **नवीन दरें 01 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होंगी।**

3.5. निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की भौतिक प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों से उन गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनको एलबेन्डॉजॉल, कैल्शियम तथा आई0एफ0ए0 आदि प्रसव पूर्व सेवाओं की सुविधा प्रदान की गयी हो। किसी भी स्थिति में 01 गर्भवती महिला को दोबारा न गिना जाये। उचित होगा कि इस हेतु एम0सी0टी0एस0 में अंकन से ही भौतिक प्रगति का सत्यापन किया जाये।

3.6. संलग्नक–2 पर प्रस्तुत Essential Drug List (EDL)-2016-17 में सम्मिलित औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार रेट कॉन्ट्रैक्ट पर उपलब्ध औषधियाँ क्रय की जा सकती हैं। यह EDL सभी चिकित्सा इकाइयों पर दवा काउण्टरों एवं लेबर रूम के बाहर प्रदर्शित हो व चिकित्सा इकाई प्रभारियों के पास सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध रहे। EDL को दीवार पर इस प्रकार पेन्ट करा दें कि प्रत्येक दवा के सामने उसकी उपलब्धता की स्थिति चॉक से अंकित की जा सके।

3.7. इस वर्ष 2016–17 के लिये निःशुल्क उपचार के मद में उपलब्ध करायी जा रही जनपदवार धनराशि एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.1 पर उपलब्ध है। सभी राजकीय चिकित्सा इकाईयों एवं आउट–रीच सत्रों में गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं के प्रसव पश्चात छः माह तक निःशुल्क चिकित्सा उपचार हेतु

आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है।

4. निःशुल्क खून पेशाब की जांचें तथा अल्ट्रासाउण्ड सुविधाः–

4.1. निःशुल्क जाँचें प्रदान करने हेतु जनपद में गर्भवती महिलाओं के आच्छादन को सम्मिलित करते हुये 50 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सुविधा से उन गर्भवती महिलाओं को भी लाभ दिया जाना है जो अन्ततः सरकारी इकाईयों पर संस्थागत प्रसव नहीं करायेंगी। अतः इस लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों पर गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनकी खून/पेशाब की जाँचें की गयी हों। प्रत्येक जनपद का लक्ष्य संलग्न तालिका (संलग्नक–1) पर प्रदर्शित है।

4.2. प्रत्येक गर्भवती महिला की न्यूनतम 4–5 बार हीमोग्लोबिन, यूरीन एल्ब्यूमिन/शुगर, ब्लड ग्रुपिंग आदि जाँचें की जायेगी। वर्ष में 2 बार मातृत्व सप्ताह के दौरान वी0एच0एन0डी0 स्तर से जिला चिकित्सालय स्तर तक तथा प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्लीनिक में सभी जाँचों की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार प्रसव के दौरान, पी0एन0सी एवं पोस्ट ऑपरेटिव भर्ती के दौरान सभी आवश्यक जाँचें इसी मद से उपलब्ध करायी जायेगी। ब्लाक व जनपद स्तरीय चिकित्सालयों पर चिन्हित एच0आर0पी0 गर्भवती महिलाओं की अतिरिक्त जाँचें एवं प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के आयोजन हेतु सभी जाँचों की व्यवस्था भी इसी मद से की जायेगी।

4.3. भारत सरकार से वर्ष 2016–17 हेतु प्राप्त स्वीकृतियों में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस व चिकित्सालयों पर हीमोग्लोबिन, यूरिन स्ट्रिप टेस्ट किट आदि सम्मिलित करते हुए सभी आवश्यक निःशुल्क जाँचों हेतु उपकरण, रीएजेण्ट तथा रैपिड टेस्टिंग किट्स आदि के लिये प्रति लाभार्थी औसतन रू0 200.00 की दर से व्यवस्था की गयी है। **नवीन दरें 01 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होंगी।**

4.4. प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु उपकरण तथा कन्ज्यूमेबिल्स आवश्यकतानुसार राजकीय नियमों के अधीन क्रय किये जा सकते हैं। इसके साथ ही उनकी रिकरिंग कॉस्ट व मरम्मत आदि भी इस मद से करायी जा सकती है।

4.5. प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जाँचें निम्नवत हैं–

- ✓ ए0पी0एच0सी0, उपकेन्द्र तथा वी0एच0एन0डी0 (आउटरीच) स्तर पर – हीमोग्लोबिन रैपिड स्ट्रिप टेस्ट एवं साहली हीमोग्लोबिनोमीटर यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर) की निःशुल्क जाँच।
- ✓ L-2 स्तर की ब्लॉक स्तरीय पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 जहाँ लैब टेक्नीशियन/लैब असिस्टेण्ट की नियुक्ति है वहाँ – हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप, ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस–बी टेस्ट, डब्ल्यू0आर0/वी0डी0आर0एल0 टेस्ट की निःशुल्क जाँच की सुविधा।
- ✓ जनपद स्तरीय व सभी L-3 स्तर की इकाइयों पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप, GTT, HbsAg, VDRL, TFT, HIV Card test (by NACO), T3/T4/TSH एवं सेमीऑटोएनालाइज़र के माध्यम से की जाने वाली अन्य जांचें।

4.6. प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में जिन जिला महिला इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है उन पर गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। इसमें उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स (फिल्म, जेल एवं टिशू पेपर आदि) का क्रय भी राजकीय नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है। जिन महिला चिकित्सालयों पर USG की सुविधा उपलब्ध नहीं हो वहाँ गर्भवती महिलाओं को पुरूष चिकित्सालय में USG की सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा आवश्यकतानुसार उन्हें भी इस मद से कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जायें।

5. इस वर्ष 2016–17 के लिये निःशुल्क जांच के मद में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि जनपदवार औसतन रू0– 200.00 प्रति गर्भवती महिला की दर से एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.2 पर आंगणित की जायेगी। सभी राजकीय चिकित्सा इकाईयों एवं आउट–रीच सत्रों में निःशुल्क जाँच सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है। **नवीन दरें 01 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होंगी।**

6. <u>निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधाः–</u>

6.1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से निर्गत पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93/2011–12/2652–3 दिनांक 07.12.2011 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन के स्तर से जननी सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस लाभ के लिये सभी गर्भवती महिलायें अर्ह होंगी।

6.2. रक्त की कमी से किसी भी गर्भवती/प्रसूता की मृत्यु होना अत्यन्त खेदजनक है। कृपया इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पुरूष चिकित्सालय व प्रभारी चिकित्साधिकारी, ब्लड बैंक को निर्देशित करें कि किसी भी गर्भवती महिला/प्रसूता को आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये और परिवार के सदस्यों द्वारा रक्तदान की बाध्यता न रखी जाये।

7. <u>ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था–</u>

7.1. राज्य स्तर पर ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत दो टोल फ्री नं0 प्रचलित हैं – 1800–180–1900 व 1800–180–1545। इन नम्बरों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाये। पूर्ण पारदर्शिता के लिये चिकित्सालयों में सार्वजनिक स्थानों पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं इकाई के प्रभारी के सम्पर्क नम्बर के साथ–साथ यह दो टोल फ्री नं0 भी प्रदर्शित होने चाहिए।

7.2. ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत जिला व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी0यू0जी0 नम्बर चिकित्सा इकाई के बाहर नोटिस बोर्ड, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 आदि में पेन्ट से प्रदर्शित/प्रचारित कर दिया जाये। ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण किया जाये।

7.3. प्रत्येक प्रसव इकाई पर रक्षित शिकायत पेटिका को निर्धारित दिवस पर खोलकर शिकायतों निस्तारण किया जाये।

8. <u>योजना का व्यापक प्रचार–प्रसारः–</u>

8.1. यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रचार–प्रसार के लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि में से योजना बनाकर जनपदीय स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

8.2. राज्य स्तर से जे0एस0एस0के पोस्टर का प्रारूप प्रेषित किया गया है। प्रत्येक जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाइयों, सी0एम0ओ0 ऑफिस पर न्यूनतम 07 फिट X 5 फिट के आकार के 02–02 फ्लैक्स बैनर अथवा वॉल–पेन्टिंग करायी जायें। यह जन सामान्य को आसानी से दिखाई देने वाले स्थान जैसे ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0, लेबर रूम आदि पर ही प्रदर्शित किया जाये।

8.3. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एकीडिटेड उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्रावधानों से अवगत कराया जाय।

8.4. समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं विशेषकर आशा, आंगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के बारे में सतत रूप से ब्लाक स्तरीय बैठकों में जानकारी प्रदान की जाये। उन्हें अर्न्तवैयक्तिक संवाद द्वारा समुदाय में जे0एस0एस0के0 के प्रचार–प्रसार हेतु प्रेरित भी किया जाये।

9. पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–

9.1. कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाय।

9.2. पर्यवेक्षकों द्वारा लाभार्थियों का 48 घण्टे रूकना, डाईट रजिस्टर का रख रखाव, प्रसव के दौरान कोई शुल्क न लिया जाना आदि पर विशेष रूप से लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया जाये।

9.3. मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी व कार्यक्रम पर्यवेक्षक आवश्यक औषधियों व जाँचों की उपलब्धता, नियमित रूप से क्रयादेशों के निर्गत किये जाने, ससमय फर्मों के भुगतान आदि बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

10. रिपोर्टिंगः–

कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये गये जिला स्तरीय भौतिक प्रगति का रिपोर्टिंग प्रपत्र–19 व प्रपत्र 8–3 पर त्रुटिरहित एवं वास्तविक नियमित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से राज्य स्तर पर जे0एस0वाई0 सेल, परिवार कल्याण निदेशालय को भेजी जाये। इसे mchjsy@gmail.com पर भी ससमय प्रेषित किया जाय। वित्तीय सूचनाओं का आधार केवल पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया गया भुगतान होगा। किसी भी रिपोर्ट में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान किये बिना उसे भुगतान के रूप में प्रदर्शित न किया जाये। सभी भौतिक प्रगति के आंकड़ों का एम0सी0टी0एस0 से मिलान आवश्यक है।

11. क्रय एवं वित्तीय व्यवस्था–

वर्ष 2016–17 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में विभिन्न निःशुल्क सुविधायें प्रदान किये जाने के लिये एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.1, ए.1.6.2 एवं ए.1.6.4 के अन्तर्गत विगत वर्ष की दरों पर प्रथम छमाही हेतु प्रथम किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। अगली किश्त जनपदों पर पर्याप्त व्यय के अनुसार आंगणन करने के पश्चात ही अवमुक्त की जायेगी।

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों, उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों पर कार्यभार के आधार पर आवश्यक औषधियों, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स का मांग–पत्र इकाइयों के प्रभारियों से प्राप्त कर लें एवं शीघ्र ही रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिये क्रय करने की कार्यवाही कर लें। इस मद में उपलब्ध राजकीय बजट का भी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- फर्मों द्वारा आपूर्ति की सुविधा के लिये क्रयादेश वर्ष में 3 या 4 फांट में (सुविधानुसार प्रत्येक त्रैमास) किया जाये। सभी औषधियों, कन्ज्यूमेबिल्स, जाँच किट्स एवं रिएजेण्ट आदि की प्राप्ति की सत्यापित रसीद जनपदीय प्रसव इकाईयों एवं ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों के स्तर से प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित फर्मों को भुगतान करें। भुगतान को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाये।
- जनपद स्तर पर स्थापित एल–3 प्रसव इकाइयों (जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय) को अलग से बजट आबंटित कर दिया जाये जिससे वे स्वयं अपनी इकाइयों पर आवश्यक औषधियों, जाँचों, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जिला स्वास्थ्य समिति में चर्चा कर उनके प्रसव भार एवं आवश्यकता का आंकलन करने के पश्चात कर ली जाये।
- प्रसव पूर्व देखभाल हेतु सभी आवश्यक औषधियों, जाँचों, रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना मुख्य चिकित्साधिकारी का मुख्य उत्तरदायित्व है। प्रत्येक माह औषधियों की उपलब्धता की सूचना यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर अवश्य अंकित कर दें।

- यदि कोई फर्म ऑर्डर करने के पश्चात राजकीय नियमानुसार निर्धारित अवधि में औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आपूर्ति नहीं करती है तो इसकी सूचना राज्य स्तर पर स्थापित निदेशक, औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन को अवश्य दें।
- जिला महिला चिकित्सालयों में निःशुल्क औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स, निःशुल्क जाँचें तथा निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उनके प्रसव भार का आंकलन कर आवश्यकतानुसार धनराशि जिला महिला चिकित्सालयों के एन0आर0एच0एम0 खाते में स्थानान्तरित कर दी जाये। इसके लिये उसी खाते का उपयोग किया जा सकता है जिसमें जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों पर जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार, भोजन व जाँचों की सुविधा जिला महिला चिकित्सालयों की भाँति ही की जा सकती है। यदि वे शपथ पत्र दें कि उनके यहाँ गर्भवती महिलाओं से कोई शुल्क अथवा यूजर चार्ज नहीं लिया जा रहा है।
- उपर्युक्त कम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जाय।
- किसी भी स्थिति में कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायगा।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वा0/जे0एस0एस0के0/93–5/2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, प0क0 महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेश, चि0स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
8. गार्ड फाईल।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ल)
उपमहाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य

NATIONAL HEALTH MISSION

DETAIL OF AVAILABLE FUND & EXPENDITURE UPTO 31 AUGUST 2016

Rs. In Lacs

Sl.	District Name	JSSK		
		Available Fund	Expenditure upto AUGUST 2016	Balance
1	Agra	234.40	15.87	218.54
2	Aligarh	186.89	4.81	182.08
3	Allahabad	383.16	53.36	329.80
4	Ambedkar Nagar	95.90	0.00	95.90
5	Amethi	114.86	5.75	109.12
6	Amroha (JP Nagar)	72.49	12.25	60.24
7	Auraiya	88.50	13.55	74.95
8	Azamgarh	212.88	6.13	206.75
9	Baghpat	65.74	15.18	50.55
10	Bahraich	264.27	29.69	234.57
11	Ballia	189.23	123.74	65.49
12	Balrampur	148.32	6.83	141.49
13	Banda	171.18	8.97	162.21
14	Barabanki	268.08	57.99	210.09
15	Bareilly	204.69	148.98	55.72
16	Basti	154.49	5.95	148.54
17	Bijnor	147.83	118.81	29.02
18	Budaun	305.38	85.21	220.16
19	Bulandshahar	155.86	21.93	133.92
20	Chandauli	144.73	49.44	95.29
21	Chitrakoot	67.02	1.96	65.05
22	Deoria	178.70	4.94	173.76
23	Etah	84.26	22.62	61.64
24	Etawah	147.93	7.72	140.20
25	Faizabad	130.99	1.20	129.79
26	Farukkhabad	86.04	8.17	77.87
27	Fatehpur	122.42	2.21	120.21
28	Firozabad	212.91	77.80	135.12
29	Gautam Buddha Nagar	70.52	6.63	63.89
30	Ghaziabad	99.82	15.51	84.31
31	Ghazipur	182.21	38.59	143.62
32	Gonda	183.05	7.23	175.82
33	Gorakhpur	214.59	0.00	214.59
34	Hamirpur	72.20	4.21	67.99
35	Hapur	48.73	21.17	27.56
36	Hardoi	219.83	15.33	204.50
37	Hathras	86.29	27.27	59.02
38	Jalaun	103.94	34.34	69.60

Sl.	District Name	JSSK		
		Available Fund	Expenditure upto AUGUST 2016	Balance
39	Jaunpur	213.59	32.88	180.71
40	Jhansi	162.25	35.15	127.10
41	Kannauj	74.35	30.13	44.21
42	Kanpur Dehat	131.64	36.04	95.60
43	Kanpur Nagar	211.06	33.58	177.48
44	Kasganj	66.08	1.70	64.38
45	Kaushambi	196.11	110.49	85.63
46	Kushi Nagar (Padrauna)	169.76	4.93	164.83
47	Lakhimpur Kheri	312.85	31.53	281.32
48	Lalitpur	129.79	29.42	100.37
49	Lucknow	452.01	58.69	393.33
50	Maharajganj	193.50	53.83	139.67
51	Mahoba	58.43	2.71	55.72
52	Mainpuri	106.45	34.91	71.54
53	Mathura	133.99	18.83	115.17
54	Mau	112.59	65.87	46.72
55	Meerut	169.54	3.95	165.59
56	Mirzapur	183.77	4.91	178.86
57	Moradabad	128.08	6.18	121.91
58	Muzaffar Nagar	168.77	27.04	141.73
59	Pilibhit	106.23	17.08	89.15
60	Pratapgarh	179.43	5.91	173.51
61	Raebareli	213.99	58.65	155.34
62	Rampur	105.06	5.19	99.87
63	Saharanpur	217.02	19.58	197.45
64	Sambhal	94.94	4.30	90.65
65	Sant Kabir Nagar	99.97	1.45	98.52
66	Sant Ravidas Nagar	89.16	23.73	65.43
67	Shahjahanpur	164.86	14.10	150.76
68	Shamali	62.92	4.40	58.52
69	Shravasti	114.79	50.39	64.40
70	Siddharth Nagar	129.91	2.18	127.73
71	Sitapur	286.99	9.44	277.55
72	Sonbhadra	195.25	24.31	170.94
73	Sultanpur	135.73	10.87	124.86
74	Unnao	147.64	4.93	142.71
75	Varanasi	157.48	19.68	137.80
	TOTAL	11796.33	1980.30	9816.03

ESSENTIAL DRUG LIST (EDL) Maternal Health

Medicines and consumables for L1/L2/L3 delivery points

Sr.No.	List of Consumables
1	Absorbent Cotton Wool I.P.- 500gms
2	Povidone Iodine Solution
3	Savlon liquid
4	Foleys Catheter, 16 No BIS, self retaining catheter
5	Infusion Equipment BIS, IV set with hypodermic needle, 21 G of 1.5 inch length
6	Intra-cath Cannulas for single use - BIS Gauze 18, Length 45mm, flow rate 90ml per minute
7	Plain catheter 16 No.
8	Chromic Catgut No. 1 on round body needle, No. 2 on round body needle
9	Cord Clamp
10	Absorbent Gauze
11	Mucus Sucker
12	Surgical gloves sterile BIS Free size
13	Surgical Spirit, B.P. 500 ml in each bottle
14	Sanitary Napkins
15	Sticking Plaster (Surgical Tape) - 2.5 cm X 9.10 m
16	Hypodermic Syringe for single use BP/BIS (5ml)
17	Hypodermic Syringe for single use BP/BIS (10ml)
18	Chromic Catgut No. 1-0 on round body needle
19	Suction Tube
20	Urobag
21	Sponges
22	Cotton Bandage
23	Gloves Size 6, 6 1/2, 7
24	Mucus Sucker
25	Mersilk No. 2, No.1 on cutting needle
26	Polyglycolic acid, braided, coated and absorbale, No.1 on 1/2 circle round body needle (VICRYL)
27	AB Gel
28	Medicated Soap
29	Spinal Needle Disposable Adult as per BIS 23 Gauze (70-90 mm without hub)
30	Sterile water 10 ml
31	Maternity Napkins
32	Disposable Insulin syringes 40 IU
S.No.	**List of Medicines**
31	Gentamycin Inj. I.P. - 80mg/ml
32	Prostidine Inj. 250 mg
33	Amoxycillin Cap. I.P. - 250mg
34	Ampicillin Cap. I.P. - 250 mg
35	Tinidazole Tab. I.P. - 500mg
36	Methyl Ergometrine Inj. I.P. - 0.2mg/ml, 0.5mg/ml
37	Misoprostol Tab - 200mcg oral/vaginal
38	Dicyclomine HCL Inj I.P. - 10mg/ml
39	Oxytocin Inj. I.P. - 5 Units/ml
40	Hyoscine Butyl Bromide Tab I.P. - 500mg
41	Sodium Chloride IV Inj I.P. - 0.9% w/v
42	Dextrose Inj. I.P. 5% - 500ml
43	Tab Ethamsylste 250 mg, 500 mg
44	Calcium Gluconate Inj. I.P. - 10% w/v
45	Povidone Iodine Ointment I.P. - 5% w/v
46	Lignocaine HCL Inj I.P.- 2% w/v
47	Ibuprofen Tab. I.P. - 400mg
48	Domperidone Tab. I.P. - 10mg
49	Paracetamol Tab. I.P. - 500mg
50	Inj. Atropine Sulphate I.P. - 0.6mg/ml
51	Inj. Ethamsylate 125mgs/ml
52	Inj. Diazapam I.P. 10mg/ml
53	Inj. Magnesium Sulfate (50%, 25% w/v 2ml)
54	Inj Iron Sucrose (Containing Ferric Hydroxide Incomplex with Sucrose eg. Elemental Iron 20 mg/ml
55	Inj. Metroniadazole I.P. - 500mg/100ml
56	Tab. Cefotaxime Sodium 500 mg

57	Inj. Cefotaxime Sodium I.P. - 1gm
59	Inj Promethazine HCL 25 mg/ml
60	Diclofenac Sodium Inj. I.P. - 25mg/ml
61	Inj. Sensorcaine I.P. 0.5mg
62	Inj. Atropine Sulphate I.P. - 0.6mg/ml
63	Inj. Frusemide 10mg/ml
64	Inj Vecuronium Bromide 4mg/
65	Inj. Sodium Pentothal 500 mg
66	Inj Pentazocine 30mg/ml
67	Inj. Tramadol
68	Tab Neostigmine 15 mg
69	Inj. Neostigmine 0.5 mg /ml
70	Tab. Dexamethasone phosphate 0.5 mg, 1mg, 4 mg
71	Inj. Dexamethasone phosphate 22.7 mg/ml
72	Inj. Mephentermine 1ml amp/10 ml vial
73	Inj. Adreanaline 1:1000
74	Tab.Chlorpheniramine Maleate 4mg
75	Inj Chlorpheniramine Maleate 10mg/ml
76	Tab Metochlopromide Hydrochloride 10 mg, 15 mg
77	Tab Domperidone 10 mg
78	Lactulose (as lactulose concentrated 667 gm/ml)
79	Inj. Metochlopromide Hydrochloride 5mg/ml
80	Inj. Ranitidine 50mg
81	Inj. Ketamine 10 mg
82	Inj. Sodium Bicarbonate IV (7.5%)
83	Inj. Dextrose 5%, 10%, 25%
84	Inj. Ringer Lactate 500 ml sol
85	Inj Dextrose saline 5% glucose & 0.9% N.saline
86	Inj Normal saline 0.9%
87	Inj. Insulin (short acting, soluble) 40 IU/ml, 100 IU/ml
88	Nifedepine Capsules Tab 5 mg, 10 mg, 20 mg,
89	Etofylline+ Theophylline compound - Tab plain & SR, Inj.
90	Misoprostol Tab - 200mcg oral/vaginal
91	Inj Anti D immunoglobulin 50 I.U.
92	Inj Anti D immunoglobulin 300 I.U.
93	Inj. Dopamine 200 mg/ 5 ml
94	Tab ciprofloxacin 400 mg
95	Cap./Tab Doxycycline 100mg
96	Tab Metronidazole 400 mg
97	Tab Azithromycin 1 gram
98	Tab Secnidazole 1 grams
99	Tab Fluconazole 150 mg
100	Inj Benzathine Penicillin 2.4 MU
101	Tab Acyclovir 400 mg
102	Gamma Benzene hexachloride lotion/cream 1%
103	Podophyline tincture 25%
104	Thyroxine Tab 25,50,100
105	Human premx Insulin 30/70 and Regular (vials)
106	75 gm glucose packet
107	Paramethrin cream 5%
108	Tab Methyldopa 250 mg
109	Inj Labetelol 100 mg
110	Tab. Labetelol 20, 50, 100 mg
111	Tab Calcium Carbonate 500mg with Vit D3 250 iu
112	Tab IFA 100 mg
113	Tab Albendazole 400
	Kits required for diagnostics
114	Haemoglobin rapid testing kits with refill
115	Uristix for albumin & sugar
116	RPR Kits for syphilis
117	Rh/ABO kit
118	Hepatitis B testing kit
119	HIV WBFPT - rapid testing kits
120	Syphilis POC test